भारत सरकार
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
मत्स्यपालन विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 387
02 दिसंबर, 2025 को उत्तर के लिए

अनन्य आर्थिक क्षेत्र (ईईजेड) में सतत मत्स्यपालन

387. श्री दिलेश्वर कामैत:
श्री विश्वेश्वर हेगड़े कागेरी:
श्री बिभु प्रसाद तराई:

क्या मत्स्यपालन**,** पशुपालन और डेयरी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अनन्य आर्थिक क्षेत्र (ईईजेड) में सतत मत्स्यपालन हेतु अधिसूचित ग्रामीण मत्स्यपालन योजना की मुख्य विशेषताएं और उद्देश्य क्या हैं;

(ख) सरकार द्वारा छोटे पैमाने के मछुआरों, सहकारी समितियों और मछुआरा उत्पादक संगठनों को गहरे समुद्र में मत्स्यपालन और निर्यातोन्मुखी गतिविधियों के लिए सशक्त बनाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) सरकार द्वारा रियलक्राफ्ट डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से पारदर्शिता, सुरक्षा और पता लगाने की क्षमता सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं और इसे अन्य राष्ट्रीय प्रणालियों के साथ किस प्रकार एकीकृत किया गया है; और

(घ) सतत मत्स्यपालन, जैव विविधता संरक्षण और भारत की नीली अर्थव्यवस्था के विकास के संबंध में इन कदमों से क्या योगदान अपेक्षित है?

उत्तर
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री
(श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह)

(क): विदेश मंत्रालय, भारत सरकार, ने *अनन्य आर्थिक क्षेत्र में मात्स्यिकी के सतत दोहन नियम, 2025* को अधिसूचित किया है । इसका उद्देश्य पारंपरिक और छोटे पैमाने के मछुआरों, मात्स्यिकी सहकारी समितियों और फिश फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन (FFPOs) को सशक्त बनाना है ताकि वे डीप सी के अप्रयुक्त संसाधनों का दोहन करने, प्रसंस्करण और निर्यात के साथ नई आय धाराओं तक पहुंचने के लिए अपने कार्यों का विस्तार कर सकें जिससे उनकी आजीविका में वृद्धि और सुदृढ़ता आए।

(ख): मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार एक प्रमुख योजना प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY) कार्यान्वित कर रहा है जिसका उद्देश्य मात्स्यिकी क्षेत्र के सर्वांगीण विकास और मछुआरों और मत्स्य किसानों के कल्याण को बढ़ाना है। प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY) का एक प्रमुख उद्देश्य डीप सी फिशिंग में पारंपरिक और छोटे पैमाने के मछुआरों को सशक्त बनाना है। तदनुसार, PMMSY के तहत पारंपरिक मछुआरों को डीप सी फिशिंग वेसल्स (DSFVs) के अधिग्रहण के साथ-साथ निर्यात क्षमता के लिए मौजूदा फिशिंग वेसल्स को अपग्रेड़ करने के लिए सहायता प्रदान की जाती है। ब्लू रेवोल्यूशन, PMMSY और फिशरीज़ एंड एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड (FIDF) की योजनाओं के तहत, पारंपरिक मछुआरों द्वारा 1243 डीप सी फिशिंग वेसल्स (DSFVs) के अधिग्रहण और निर्यात क्षमता के लिए 1330 मौजूदा फिशिंग वेसल्स को अपग्रेड करने की स्वीकृति दी गई है ।

"होल ऑफ गर्वमेंट अप्रोच" को अपनाते हुए, मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार एक जाइंट वर्किंग ग्रुप (JWG) के माध्यम से सहकारिता मंत्रालय के सहयोग से छोटे पैमाने के मछुआरों, सहकारी समितियों और मछुआरा समाजों की डीप सी फिशिंग, मूल्य-श्रृंखला विकास, प्रसंस्करण और निर्यात में भागीदारी को बढ़ावा दे रहा है। सहकारिता मंत्रालय सहकारी संस्थाओं को सुदृढ़ करके और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC) के माध्यम से सहकारी ऋण तक पहुँच को सुविधाजनक बनाकर इस पहल को सपोर्ट करता है। महाराष्ट्र में, 20.30 करोड़ रुपए की कुल परियोजना लागत पर 14 डीप सी फिशिंग वेसल्स को सहायता प्रदान की गई है, जिसमें NCDC की 11.55 करोड़ की ऋण सहायता, PMMSY की 6.72 करोड़ रुपए की सहायता और सोसायटी का 2.03 करोड़ रुपए का योगदान शामिल है। हाल ही में, मुंबई शहर के दो सोसाइटियों को 27.10.2025 को PMMSY के तहत 02 डीप सी फिशिंग वेसल्स प्राप्त हुए हैं।

(ग): फिशिंग क्राफ्ट का रजिस्ट्रेशन और लाइसेंसिंग (ReALCRaft) एक वेब इनेबल्ड ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल है, जिसे संबंधित कानूनों या नियमों के तहत फिशिंग वेसल के लिए वेसल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (VRC) और फिशिंग लाइसेंस या एक्सेस पास जारी करने के लिए बनाया गया है। ReALCRaft डिजिटल और डेटा आधारित नागरिक सेवाओं को भी बढ़ावा देता है और पारदर्शिता बनाए रखता है। VRC को तटीय राज्य/केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा मर्चेंट शिपिंग एक्ट, 1958 के तहत जारी किया जाता है। ReALCRaft पोर्टल को नाभमित्रा एप्लीकेशन और तटीय सुरक्षा एजेंसियों के साथ एकीकृत किया गया है ताकि समुद्र में मछुआरों की सुरक्षा एवं संरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

(घ): अनन्य आर्थिक क्षेत्र में मात्स्यिकी के सतत दोहन नियम, 2025 अप्रयुक्त मात्स्यिकी संसाधनों के इष्टतम उपयोग और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र (मरीन इकोसिस्टम) के स्थायित्व को बढ़ावा देने के लिए तैयार किया गया है। संसाधनों के सतत (सस्टेनेबल) उपयोग के लिए इकोसिस्टम एप्रोच को प्रोत्साहित करने और संरक्षण और प्रबंधन उपायों के कार्यान्वयन पर भी बल दिया गया है, जैसे मानसून या फिश ब्रीडिंग सीज़न में फिशिंग पर यूनिफ़ोर्म रूप से प्रतिबंध, फिश कैप्चर के लिए न्यूनतम लीगल साइज, बायकैच कम करने के उपाय, फिशिंग वेसल्स पर पोस्ट हारवेस्ट नुकसान को कम करने के सर्वोत्तम प्रथाएँ, मत्स्य स्टॉक का संरक्षण या सी रैंचिंग सहित पुनर्बहाली के उपाय, आर्टिफिशियल रीफ की स्थापना, एसेंशियल फिश हैबिटेट (EFH) की पहचान और संरक्षण, जिसमें स्पॉनिंग, ब्रीडिंग और फीडिंग ग्राउंड आदि शामिल हैं। ये नियम हमारे समुद्रों की समुद्री जैव विविधता (मरीन बायोडाईवरसिटी) की रक्षा के लिए ईईजेड में विनाशकारी मत्स्यन और जुवेनाइल फिशिंग पर भी रोक लगाते है।

इन प्रयासों से ग्लोबल मारकेट्स में वैल्यू एडेड सीफूड प्रोडक्ट्स का शेयर बढ़ने के साथ-साथ भारत के सीफूड निर्यात में समुद्री क्षेत्र के योगदान में उल्लेखनीय वृद्धि होने की उम्मीद है। सर्टिफ़िकेशन, ट्रेसेबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी के माध्यम से हाई-वैल्यू सीफूड उत्पाद के निर्यात को बढ़ावा देने पर विशेष बल दिया जा रहा है। ये पहल देश से सीफूड निर्यात को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

*****